

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (नियम 26)
बडीसादडी (विशेषीकरण)

मुद्रा
नाम

नाम नानालाल

(128 LRA)

सं. 59/2018

सं.

कार्यवाही मय इन्डियन जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

25.4.18

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.
का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज
किया जावे। प्राथना पत्र का अवलोकन
के बाद मया एक पक्षीय बहस सूनी गई।
बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त
करा जाकर आदेश दिया जाता है कि
नाम.....

लुहारिया

नाम..... की

जन्म 25/1. 1916 ई. 256/1. उम्र 0.16 ई.

विभिन्न आराजीयात की पत्थरगठी विपक्षीगणों = 1.32 ई.
को मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 1200/-

कलेक्ट किये जाकर राजकोष में जमा करावें।

पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर
जारी हुम्नार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

